

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 14()वसु/प्रमुखसं/

८५३

दिनांक- 16/06/2017

परिपत्र

वन एवं वन्यजीव संरक्षित क्षेत्रों में स्थित अतिक्रमणों के संबंध में दिनांक 5.6.2017 को माननीय दंग एवं पर्यावरण मंत्री, राजस्थान सरकार द्वारा समीक्षा के दौरान दिये गये निर्देशों की अनुपालना में प्रवेश में वन एवं वन्यजीव क्षेत्रों में बीट / कम्पार्टमेंट रस्ते पर दर्तनान में मौजूद अतिक्रमणों को चिह्नित कर उनकी कोरोना फाईल तैयार कर वन नोडल स्तर पर डिजिटाईज्ड वन क्षेत्रों के नक्शों पर दिहित किया जाना। है जिससे इन क्षेत्रों में अतिक्रमण की स्थिति का सही-सही ऑक्लन कर इन्हें नियमानुसार घेदखल करने की त्वरित कार्यवाही की जा सके। साथ ही संबंधित मुख्य वन संरक्षक समर-समय पर इसकी ज्ञाति की रागीका भी करेंगे। यिन्हित करने की इस प्रक्रिया से भविष्य में होने वाले अतिक्रमणों को रोका जा सकेगा। एवं यन एवं वन्यजीव क्षेत्रों में अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

इस क्रम में अतिक्रमण की सूचना संलग्न निर्धारित प्रपत्र में संबंधित उप वन संरक्षक FMDSS में अतिक्रमण के Module में अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इस हेतु वन नोडल में पदस्थापित सहायक वन संरक्षक को उप वन संरक्षक द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा जिसकी सूचना अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उन सुरक्षा) को दी जावेगी जो गुरुवार व शुक्रवार पर इस कार्य के नोडल अधिकारी रहेंगे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

अप्रृष्ट
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-एफ 14()वसु/प्रमुखसं/

८५५-९५०

दिनांक- 16/06/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- अतिक्रमण मुख्य वन संरक्षक एवं नुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
- 2- अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन सुरक्षा) / (सूचना एवं प्रोटोग्राफी), राजस्थान, जयपुर।
- 3- अतिक्रमण मुख्य वन संरक्षक कोटा/जयपुर समाग्रे
- 4- मुख्य वन संरक्षक, जोधपुर/अजमेर/उदयपुर/बीकानेर एवं भरतपुर।
- 5- मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर/उदयपुर/साराई माधोपुर/सरिस्का (अलवर)/कोटा।
- 6- उप वन संरक्षक
- 7- उप वन संरक्षक
- 8- उप वन संरक्षक आईटी० को प्रेषित कर लेख है कि संलग्न प्रपत्र FMDSS के Application में सम्भिलित करावें।
- 9- रक्षित पत्रावली।

अप्रृष्ट
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन सुरक्षा), राजस्थान, जयपुर

प्रयत्र : यह नमूसे पर किये गये अंदरकल्प की खाली।

नाम अधिकारी	पिता का नाम	दरवाजे अंदरकल्प का नाम है तो कैसे वही (उत्तर के अधिकारी पर)	होक्युल (खेत)	दरवाजे	कम्याटमेस्ट नंग	नाम रेज़
1	2	3	4	5	6	7

नाम हममल	LR Act मुकदमा नंग	KML File	KML File वरने की दिगंबर	पदरथापित वाराधाक / कम्याट जिनके द्वारा मूलना एक नी रही है।	वनपाल / सर्वाधित द्वारा। जिनके द्वारा सत्यापित किया गया है।
8	9	10	11	12	13